ई–मेल द्वारा

कार्यालय महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-77 /रा.पो.मि./कॉल सेन्टर/2021–22 दिनांक 03 जून ,2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में लाभार्थियों के मध्य वितरण को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए निमित्त कॉल सेन्टर के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में लाभार्थियों के मध्य वितरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम/सहयोग से किया जा रहा है। अनुपूरक पुष्टाहार की इस नवीन व्यवस्था को पारदर्शी व सुगम बनाने के साथ–साथ इसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकत्री, स्वयं सहायता समूह व लाभार्थियों को फोन करके उनका फीडबैक प्राप्त करने के साथ–साथ अनुपूरक पुष्टाहार के प्राप्ति/वितरण का वैरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। माह मई, 2021 तक कॉल सेन्टर द्वारा लाभार्थियों को किए गए कुल कॉल के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कॉल या तो रिसीव नहीं हुए या मोबाईल न0 गलत था। कॉल सेन्टर से प्राप्त फीडबैक को जनपदवार/परियोजनावार/केन्द्रवार/तिथिवार/लाभार्थीवार तैयार कर सम्पूर्ण विवरण सॉफ्टकापी में ई–मेल के माध्यम से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। जो नम्बर गलत पाये गये है उसे ठीक करा दें। जिन लाभार्थियों ने अनुपूरक पोषाहार प्राप्त न होने का फीडबैक दिया गया है उनकी मुख्य सेविका द्वारा शतप्रतिशत, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक मुख्य सेविका के क्षेत्र में 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक परियोजना में कम से कम 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों का सत्यापन कर आख्या उपलब्ध करायी जायेगी कि लाभार्थियों के मध्य अनुपूरक पोषाहार वितरण न होने के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

काल सेन्टर द्वारा **0522–6180600** व **0522–6180400** से फोन किया जाता है। किए गए कॉल यथा सम्भव रिसीव हों, इसलिए आवश्यक है कि विभाग के सभी कर्मचारी/ अधिकारी, सभी कार्यकत्री/लाभार्थी को कॉल सेन्टर का नम्बर की जानकारी हो। जब भी इन नम्बरों से कोई कॉल आए तो वे अवश्य रिसीव करें और इस न0 को अपने मोबाईल में सेव कर लें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कॉल सेन्टर का टोल फ्री नम्बर 1800–180–5500 पर निःशुल्क कॉल किया जा सकता है। कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर का स्थानीय समाचार पत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी करायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए 01 सप्ताह में आख्या ई–मेल आई0डी0 snmgoup@gmail.com पर उपलब्ध करायें।

संलग्नक–ई–मेल।

(कपिल सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन।
2. निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।

(कपिल सिंह)
निदेशक

ई–मेल द्वारा

कार्यालय महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /रा.पो.मि./कॉल सेन्टर/2021–22 दिनांक 03 जून ,2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में लाभार्थियों के मध्य वितरण को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए निमित्त कॉल सेन्टर के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में लाभार्थियों के मध्य वितरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम/सहयोग से किया जा रहा है। अनुपूरक पुष्टाहार की इस नवीन व्यवस्था को पारदर्शी व सुगम बनाने के साथ–साथ इसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकत्री, स्वयं सहायता समूह व लाभार्थियों को फोन करके उनका फीडबैक प्राप्त करने के साथ–साथ अनुपूरक पुष्टाहार के प्राप्ति/वितरण का वैरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। माह मई, 2021 तक कॉल सेन्टर द्वारा लाभार्थियों को किए गए कुल कॉल के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कॉल या तो रिसीव नहीं हुए या मोबाईल न0 गलत था। कॉल सेन्टर से प्राप्त फीडबैक को जनपदवार/परियोजनावार/केन्द्रवार/तिथिवार/लाभार्थीवार तैयार कर सम्पूर्ण विवरण सॉफ्टकापी में ई–मेल के माध्यम से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। जो नम्बर गलत पाये गये है उसे ठीक करा दें। जिन लाभार्थियों ने अनुपूरक पोषाहार प्राप्त न होने का फीडबैक दिया गया है उनकी मुख्य सेविका द्वारा शतप्रतिशत, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक मुख्य सेविका के क्षेत्र में 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक परियोजना में कम से कम 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों का सत्यापन कर आख्या उपलब्ध करायी जायेगी कि लाभार्थियों के मध्य अनुपूरक पोषाहार वितरण न होने के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

काल सेन्टर द्वारा **0522–6180600** व **0522–6180400** से फोन किया जाता है। किए गए कॉल यथा सम्भव रिसीव हों, इसलिए आवश्यक है कि विभाग के सभी कर्मचारी/ अधिकारी, सभी कार्यकत्री/लाभार्थी को कॉल सेन्टर का नम्बर की जानकारी हो। जब भी इन नम्बरों से कोई कॉल आए तो वे अवश्य रिसीव करें और इस न0 को अपने मोबाईल में सेव कर लें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कॉल सेन्टर का टोल फ्री नम्बर 1800–180–5500 पर निःशुल्क कॉल किया जा सकता है। कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर का स्थानीय समाचार पत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी करायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए 01 सप्ताह में आख्या ई–मेल आई0डी0 snmgoup@gmail.com पर उपलब्ध करायें।

संलग्नक–ई–मेल।

(कपिल सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन C-77 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन।
2. निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।

(कपिल सिंह)
निदेशक